क्या अल्लाह

गुनाह मुआफ़

कर सकता है?

क्या अल्लाह

गुनाह माफ़

कर सकता है?

kya allāh gunāh muāf kar saktā hai?

Can God Forgive Our Sins?
(Urdu—Hindi script)

© 2019 MIK
published and printed by
Good Word, New Delhi

for enquiries or to request more copies:
askandanswer786@gmail.com

अकसर लोग बड़ी बेपरवाई से कहते हैं कि “अल्लाह माफ़ कर देगा।” गोया कि माफ़ी निहायत आसान और सस्ती-सी शै है। जब यह सवाल उठाया जाए कि “क्या अल्लाह गुनाह माफ़ कर सकता है?” तो वह जवाब देते हैं, “बेशक, अल्लाह गुनाह माफ़ कर सकता है क्योंकि वह सब कुछ कर सकता है।”

अल्लाह अपनी ज़ात का इनकार नहीं कर सकता

लेकिन क्या यह दुरुस्त है? क्या वह गुनाह माफ़ कर सकता है? इंजील जलील फ़रमाती है,

> वह अपना इनकार नहीं कर सकता।
> (2 तीमुथियुस 2:13)

यानी अल्लाह अपनी ज़ातो-सिफ़ात का इनकार नहीं कर सकता। वह कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसकी ख़ुसूसियात के ख़िलाफ़ हो या उससे मुताबिक़त न रखता हो।

अल्लाह आदिल है

अल्लाह की ख़ुसूसियत में एक बुनियादी उनसुर अदल और रास्ती है। ख़ुदा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो कामिल अदल और रास्ती पर मबनी न हो।

जुर्म की सज़ा लाज़िमी

क्या हम ख़ुद यह तसलीम नहीं करते कि आसान और सस्ती माफ़ी जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, इनसाफ़ नहीं? दुनिया के किसी भी मुल्क का क़ानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुजरिम को उसके जुर्म की क़ीमत अदा किए बग़ैर छोड़ दिया जाए। क़ानून के मुताबिक़ उसे ज़रूर इसका नतीजा भुगतना पड़ता है।

जज का क़र्ज़ उठाने की मिसाल

चंद साल गुज़रे एक अख़बार में एक बड़ा दिलचस्प वाकिया शाया हुआ था। तीन अफ़राद को क़र्ज़ अदा न करने के बाइस किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। क़ानून के पेशे-नज़र मजिस्ट्रेट उन्हें माफ़ नहीं कर सकता था। लाज़िम था कि वह अपना क़र्ज़ अदा करें और थोड़ी बहुत सज़ा भी भुगतें। लेकिन मजिस्ट्रेट को मालूम हुआ कि मक़रूज़ निहायत ग़रीब हैं और क़र्ज़ अदा करने के क़ाबिल नहीं। क़ैद के बाइस उनके ख़ानदानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यह देखकर उसको उन पर बड़ा तरस आया। उसने ख़ुद उनका क़र्ज़ अदा कर दिया। तीनों आज़ाद हो गए। आम तौर पर अदालतों में ऐसा नहीं होता। लेकिन इस मिसाल से दो अहम उसूल सामने आते हैं।

- क़ानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि मुजरिम को जुर्म की मुनासिब क़ीमत अदा करने के बग़ैर माफ़ किया जाए।
- अगर यह मुंसिफ़ के इख़्तियार में हो कि वह सज़ा के तक़ाज़े को ख़ुद पूरा कर दे तो मुजरिम को माफ़ किया जा सकता है।

माफ़ करनेवाला, मुजरिम की सज़ा उठाता है

अब फ़रज़ करें कि कोई आपका जुर्म करे। मसलन वह आपका रुपया चुराता है। अगर आप चाहें तो उसे माफ़ भी कर सकते हैं। मुमकिन है आपकी रहमदिली आपको मजबूर करे और आप उसे पैसों का तक़ाज़ा किए बग़ैर माफ़ कर दें, यानी उसे किसी क़िस्म की सज़ा न दें। लेकिन इस जुर्म की सज़ा तो किसी न किसी को ज़रूर मिलेगी। वह सज़ा कौन बरदाश्त करेगा? आप ही जिसने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि जुर्म तो आपके ख़िलाफ़ सरज़द हुआ था। लेकिन चूँकि आपने उसे माफ़ कर दिया इसलिए उसके जुर्म की सज़ा आपको उठानी पड़ेगी। यह है माफ़ी का मतलब कि किसी न किसी को ज़रूर क़ीमत अदा करनी पड़ती है या कफ़्फ़ारा देना होता है ताकि मुजरिम को माफ़ किया जा सके। लेकिन इस क़िस्म की मुहब्बत का नतीजा ज़रूर ही माफ़शुदा मुजरिम के लिए आइंदा जरायम से तौबा की सूरत में निकलना चाहिए।

सस्ती माफ़ी नामुमकिन

ख़ुदा कामिल आदिल है। वह गुनाह को नज़रअंदाज़ नहीं करता और न वह "सस्ती" माफ़ी देता है जो इनसान की ज़िंदगी को तबदील नहीं करती। दूसरी तरफ़ ख़ुदा ने अपनी रहमदिली और मुहब्बत के बाइस हमारे गुनाह की क़ीमत ख़ुद अदा कर दी है। उसने ऐसा कफ़्फ़ारा दिया है जिसके बाइस हम मुफ़्त माफ़ किए जाते हैं। इंजील जलील के मुताबिक़ यह कफ़्फ़ारा अल-मसीह की क़ुरबानी में पाया जाता है जो उसने सलीब पर दी :

> यही मुहब्बत है, यह नहीं कि हमने अल्लाह से मुहब्बत की बल्कि यह कि उसने हमसे मुहब्बत करके अपने फ़रज़ंद को भेज दिया ताकि वह हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए कफ़्फ़ारा दे।
> (1 यूहन्ना 4:10)

जब हम हुज़ूर अल-मसीह की सलीब पर दी गई क़ुरबानी पर ग़ौर करते हैं तो

- हमें मालूम होता है कि हमारा गुनाह कितना गहरा है। उसकी पूरी क़ीमत अदा करने के लिए अल्लाह के प्यारे और पाक फ़रज़ंद को अपनी जान देनी पड़ी। यह माफ़ी सस्ती नहीं बल्कि निहायत क़ीमती है।

- हम हक़ तआला की मुहब्बत की क़दर करने लगते हैं। इतनी बड़ी क़ीमत अदा की गई ताकि हमें मुफ़्त माफ़ी मिल जाए और हम तबाही से बच जाएँ। इससे हमें मालूम हो जाता है कि ख़ुदा हमसे कितनी मुहब्बत रखता है।

- हमें हज़रत ईसा की पाकीज़गी नज़र आती है। अल्लाह सिर्फ़ पाक और रज़ाकाराना क़ुरबानी ही क़बूल कर सकता था। और सिर्फ़ हुज़ूर अल-मसीह ही इस मेयार पर पूरे उतरे।

हमें यह कभी भी ख़याल नहीं करना चाहिए कि दुनिया कफ़्फ़ारा के ख़याल को रद्द करती है। हक़ीक़त तो यह है कि लोगों की अकसरियत इस नज़रिये को मानती है। लेकिन उन में ख़ामी यह है कि वह अपने नेक कामों को अपने गुनाहों का कफ़्फ़ारा तसव्वुर करते हैं। हमारे नेक काम काफ़ी नहीं हैं। हक़ीक़ी कफ़्फ़ारा इससे कहीं क़ीमती है। इंजील जलील फ़रमाती है कि सिर्फ़ हुज़ूर अल-मसीह की ज़िंदगी की क़ुरबानी ही हमारा कफ़्फ़ारा देने के लिए काफ़ी है। जब हज़रत ईसा सलीब पर जान देनेवाले थे तो आपने अपनी क़ुरबानी के बारे में फ़रमाया

> यह मेरा ख़ून है, नए अहद का वह ख़ून जो बहुतों के लिए बहाया जाता है ताकि उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। (मत्ती 26:28)

क्या अल्लाह गुनाह माफ़ कर सकता है? कफ़्फ़ारा के बग़ैर वह गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन ख़ुशख़बरी यह है कि अल-मसीह ने यह कफ़्फ़ारा पूरे तौर पर अदा कर दिया है। अब हम उनकी मुहैयाकरदा कामिल और मुफ़्त माफ़ी को हासिल कर सकते हैं।